


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

गोवर्धन बनाम रतन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 98/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>19-3-25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गोवर्धन</u></p> <p>पिता श्री <u>धीसा जी लोखर</u></p> <p>निवासी- <u>मिथो की पीपली, चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>मिथो की पीपली (मोड़ून्हा) चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>312, 316, 317</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>1.53</u> है० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>मिथो की पीपली (मोड़ून्हा)</u> स्थित खातेदारी की मुक्ति आराजी नम्बर <u>312, 316, 317</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>1.53</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षर <u>पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <div style="text-align: right;">         (जी. डी. वर्मा)        उपखण्ड अधिकारी        चित्तौड़गढ़ (राज.)     </div>